न्यायालय– सिविल न्यायाधीश (वरीय प्रभाग), षष्ठम्, पटना सिटी

स्वत्व वाद सं0–283/2010

26-04-2024

प्रस्तुत अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। उभयपक्ष की ओर से हाजिरी दी गई। वादीगण के द्वारा दिनांक–18.09.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 –सह– पठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, साथ–ही परिसीमा अधिनियम की धारा 5 एवं आदेश 22 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता का आवेदन दाखिल किए हैं। साथ–ही वादी के द्वारा एक और आवेदन आदेश 22 नियम 4 –सह– पठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 एवं आदेश 22 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता दाखिल किए हैं, जो दोनों आवेदनों को संचालित करते हुए वे अभिकथन करते हैं कि वादी सं0–14 अशोक राय की मृत्यु दि0–06.01.2023 को हो चुकी है और वह अपने पीछे अपनी पौत्र शिवजी कुमार एवं पत्नी कौशल्य देवी को अपने विधिक वारिसान एवं उत्तराधिकार के रूप में छोड़ गए हैं और उन्हें वाद लाने का अधिकार जीवित है एवं परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विलम्ब से दाखिल आवेदन को स्वीकृत करते हुए एवं प्रस्तुत वाद में उपशमन नहीं हुआ है एवं अपने दूसरे आवेदन को संचालित करते हुए अभिकथन करते हैं कि प्रतिवादी सं0–10 सुखदेव राय की मृत्यु हो चुकी है और वे अपने पीछे अपने विधिक वारिसान आनंद कुमार, अरविंद कुमार, कृष्णा कुमार, अनिल कुमार को छोड़ गए हैं और उन्हें वाद लाने का अधिकार जीवित है एवं परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विलम्ब से दाखिल आवेदन को स्वीकृत करते हुए एवं प्रस्तुत वाद में उपशमन नहीं हुआ है, अतः मृतक वादी सं0–14 एवं प्रतिवादी सं0–10 के नामों को विलोपित करते हुए उनके विधिक वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाय।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त दोनों आवेदनों का प्रत्युत्तर आया है, तथा वे अपने प्रत्युत्तर के माध्यम से वादी के आवेदन का विरोध करते हुए अभिकथन करते हैं कि वादी के उपरोक्त दोनों आवेदनों को रद्द करने की कृपा की जाय।

उभयपक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकल किया, अभिलेख अवलोकन एवं परिशीलन के पश्चात् आवेदक के द्वारा दिनांक–18.09.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 –सह– पठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, साथ–ही परिसीमा अधिनियम की धारा 5 एवं आदेश 22 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं आदेश 22 नियम 4 –सह– पठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 एवं आदेश 22 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि उक्त आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। साथ–ही कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार उपरोक्त वादी सं0–14 एवं प्रतिवादी सं0–10 के नामों को विलोपित करते हुए उनके विधिक वारिसानों को प्रतिस्थापित करें। वाद दिनांक– वास्ते अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु।

लेखापित

सिविल न्यायाधीश (वरीय प्रभाग), षष्ठम्
पटना सिटी